राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नं.:– 0141–2740837, **फैक्स** 0141–2742309, **ई मेलः–** jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(एल–डीजीएस)/अलेसे–III/ 491 **दिनांक :–** 15/04/2021

कार्यालय आदेश

श्री लालबहादुर मित्तल, कनि. लेखाकार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, भरतपुर द्वारा अपराध प्रकरण संख्या 250/2010 अन्तर्गत धारा 7, पी.सी. एक्ट 1988 में पंजीबद्ध होने के कारण कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2/157/कार्मिक (क–3)/97 दिनांक 10.08.2001 के अनुसरण में विभागीय आदेश क्रमांक 8179–8185 दिनांक 07.10.2011 से निलम्बित किया गया था। निलम्बित कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 16.01.2015 को बैठक आयोजित की गई जिसमें समीक्षा की जाकर श्री लालबहादुर मित्तल, कनि. लेखाकार को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया तथा वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक पत्र.2 (8)/वित्त/राजस्व/14 दिनांक 28.01.2015 के अनुसरण में विभागीय आदेश संख्या 147/2014–15 क्रमांक 224–230 दिनांक 13.02.2015 के द्वारा श्री लालबहादुर मित्तल, कनि. लेखाकार जो दिनांक 07.10.2011 से निलम्बित चल रहे थे, को निलम्बन से बहाल किया गया तथा निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात् किये जाने का निर्णय लिया गया।

माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर के निर्णय दिनांक 12.12.2019 के द्वारा श्री मित्तल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया गया है। उपनिदेशक अभियोजन–प्रथम, महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राज., जयपुर के पत्रांक 654 दिनांक 24.02.2021 के अनुसार माननीय विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर के पारित निर्णय दिनांक 12.12.2019 के विरूद्ध अपील पेश नहीं किये जाने का निर्णय सक्षम स्तर से लिया जा चुका है। श्री मित्तल के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित/प्रस्तावित नहीं हैं।

अतः राजस्थान सेवा नियम खण्ड–I के नियम 54 के अन्तर्गत श्री लालबहादुर मित्तल, कनि. लेखाकार की निलम्बन अवधि के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं किः–

1. श्री लालबहादुर मित्तल को निलम्बन काल में भुगतान किये गए निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए अन्य सभी वेतन एवं भत्ते देय होगे।

तथा

2. अन्य देय समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना के लिए उक्त निलम्बन अवधि को गणना योग्य माना जावेगा।

(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(एल–डीजीएस)/अलेसे–III/491 **दिनांक :–** 15/04/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रेंज, भरतपुर।
4. कोषाधिकारी, भरतपुर।
5. उपनिदेशक (जांच)/उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
6. श्री लालबहादुर मित्तल, कनि. लेखाकार कार्यालय जिला कलेक्टर, भरतपुर।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

F:\LETTER .DOCX 805